

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल जज

5-6-18

पत्रावली न्याय आपने डार कैम्प 201
में उल्लूख है। वादी अनु। प्रतिवादी उ
पत्रावली का अपलोवन किया गया। प्रति
का जवाब दीलगा किफल है। प्रतिवादी राउ
सरकार जरिए तहसीलदार की बरत लुन
गई। तहसीलदार ने बरत में कथन
किया कि प्रतिवादी ने 2000
राउ दर्ज है। वादी को वाकपत्र में उल्ले
शुक्ति के संदर्भ में कोई अधिकार काधि
नही है। वादी अतिरिची की हैलियन दे
काजिज है। अतिरिची के विरुद्ध उगस्थान
अपनिजेसन अधिनियम 1954 की धारा
उ तहत समय-समय पर कार्यवाही
की जाती है। वादी को टिनेन्ट घोषित
किया जाना न्यायेचित नही है। वाद बरत
सारिज करनामा जौवे।

पत्रावली वादते अदिरा दिनांक 6/11/18
को पेश हो।